



मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462016
फोन : 0755-2430154, फेक्स 0755-2981055
ई-मेल-secretary@mperc.nic.in, वेबसाइट- www.mperc.in

क्रमांक : मप्रविनिआ / 2020 / 1494

भोपाल दिनांक 17 / 12 / 2020

जन सूचना
(याचिका क्र. 49/2019)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2020 के द्वारा निम्नदाब, उच्चदाब एवं अतिरिक्त उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों का निर्धारण किया गया है। यह दरें दिनांक 26 दिसम्बर 2020 से अगली विद्युत दरों के निर्धारण किये जाने तक की अवधि के लिये लागू रहेंगी। पुनरीक्षित विद्युत दरों का सारांश निम्नानुसार है :-

अ. निम्न दाब (लो टेंशन-एलटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूचियां

1 टैरिफ अनुसूची एल.व्ही.-1 घरेलू

क्रमांक	मासिक खपत	स्थाई प्रभार प्रति माह (रुपये में)		ऊर्जा प्रभार (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र हेतु)
		शहरी क्षेत्र में	ग्रामीण क्षेत्र में	(पैसे प्रति यूनिट)
एल.व्ही.-1.1 उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 30 यूनिटों से ज्यादा न हो एवं स्वीकृत भार 100 वाट से ज्यादा न हो।				
(अ)	30 यूनिटों तक	निरंक	निरंक	325
(ब)	न्यूनतम प्रभार – इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम प्रभार के रूप में रुपये 45 प्रति संयोजन प्रति माह की दर से लागू होगी।			
एल.व्ही.-1.2 (i) खपत स्लैब (टेलिस्कोपिक स्थाई संयोजन के लिए)				
1.	50 यूनिटों तक	61 प्रति संयोजन	46 प्रति संयोजन	413
2.	51-150 यूनिटों तक	102 प्रति संयोजन	82 प्रति संयोजन	505
3	151-300 यूनिटों तक	23 प्रति 0.1 कि.वा. अधिकृत भार का	20 प्रति 0.1 कि.वा. अधिकृत भार का	645
4	300 यूनिटों से अधिक	25 प्रति 0.1 कि.वा. अधिकृत भार का	23 प्रति 0.1 कि.वा. अधिकृत भार का	665
न्यूनतम ऊर्जा प्रभार: उपरोक्त श्रेणियों हेतु रुपये 70/- प्रति संयोजन प्रति माह की दर से न्यूनतम ऊर्जा प्रभार प्रयोज्य होगा।				
एलव्ही 1.2 (ii)				
5	अस्थाई संयोजन स्वयं के गृह निर्माण के लिये (अधिकतम तीन वर्ष तक)	प्रयोज्य दर एल.व्ही-1.2 का 1.25 गुना		
6	अस्थाई संयोजन सामाजिक/वैवाहिक/धार्मिक समारोहों हेतु	70 प्रति कि.वा. स्वीकृत भार का या संयोजित भार या अभिलिखित भार का जो भी ज्यादा हो प्रति 24 घंटे की	55 प्रति कि.वा. स्वीकृत भार का या संयोजित भार का या अभिलिखित भार का जो भी ज्यादा हो प्रति 24 घंटे की अवधि के लिए	830

क्रमांक	मासिक खपत	स्थाई प्रभार प्रति माह (रुपये में)		ऊर्जा प्रभार (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र हेतु)
		शहरी क्षेत्र में	ग्रामीण क्षेत्र में	(पैसे प्रति यूनिट)
		अवधि के लिए या उसके अंश का	या उसके अंश का	
7	डी.टी.आर मीटर द्वारा झुग्गी/झोपड़ी के समूहों के लिए जब तक कि व्यक्तिगत कनेक्शनों पर मीटर न लगाये जाये.	निरंक	निरंक	355
न्यूनतम प्रभार : अस्थाई संयोजन हेतु ऊर्जा प्रभारों के लिए रुपये 1000/- प्रति संयोजन प्रति माह के प्रभार लागू होंगे तथा झुग्गी-झोपड़ी समूहों हेतु वितरण ट्रांसफार्मरों माप यंत्र (मीटर) द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु कोई भी न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे।				
एल.व्ही. 1.2 (iii)				
8	ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन (संयोजित भार 500 वाट तक)	-	82 प्रति संयोजन	75 यूनिटों की खपत पर 510 पैसे प्रति यूनिट की दर से

2. टैरिफ अनुसूची एल.व्ही.-2 गैर-घरेलू

क्रमांक	उपश्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार	मासिक स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार
		शहरी क्षेत्र में (रुपये में)	ग्रामीण क्षेत्र में (रुपये में)	(पैसे प्रति यूनिट)
एल.व्ही.-2.1				
1	संयोजित भार आधारित दर (संयोजित भार 10 कि.वा. तक)	153 प्रति कि.वा.	122 प्रति कि.वा.	640
2	मांग आधारित टैरिफ संयोजित भार 10 कि.वा. से अधिक के लिए अपरिहार्य	275 प्रति कि.वा. अथवा 220 प्रति के.व्ही.ए बिलिंग मांग	235 प्रति कि.वा. अथवा 188 प्रति के.व्ही.ए बिलिंग मांग	640
एल.व्ही.-2.2				
1	सभी यूनिटों पर यदि मासिक खपत 50 यूनिटों से ज्यादा न हो (संयोजित भार 10 कि.वा. तक)	82 प्रति कि.वा.	67 प्रति कि.वा.	630
2	यदि मासिक खपत 50 यूनिटों से ज्यादा हो तो सभी यूनिटों पर (संयोजित भार 10 कि.वा. तक)	138 प्रति कि.वा.	117 प्रति कि.वा.	780
3	मांग आधारित टैरिफ (संयोजित भार 10 कि.वा. से अधिक के लिए अपरिहार्य)	296 प्रति कि.वा. अथवा 237 प्रति के.व्ही.ए बिलिंग मांग	214 प्रति कि.वा. अथवा 171 प्रति के.व्ही.ए बिलिंग मांग	690

क्रमांक	उपश्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार	मासिक स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार
		शहरी क्षेत्र में (रुपये में)	ग्रामीण क्षेत्र में (रुपये में)	(पैसे प्रति यूनिट)
4	अस्थायी संयोजन जिनमें बहुबिन्दु (मेला' के लिए) अस्थायी संयोजन सम्मिलित है।	224 प्रति कि.वा. अथवा उसके अंश का स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार जो भी ज्यादा हो	195 प्रति कि.वा. अथवा उसके अंश का स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार जो भी ज्यादा हो	870
5	अस्थायी संयोजन वैवाहिक कार्यों के लिए शादी बागीचा या शादी हाल या अन्य कोई परिसर जो कि एल.व्ही 2.1 या 2.2 श्रेणी के अंतर्गत हो	87 प्रति कि.वा. या उसके अंश का स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार जो भी ज्यादा हो प्रति 24 घंटे की अवधि के लिए या उसके अंश का	67 प्रति कि.वा. या उसके अंश का स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार जो भी ज्यादा हो प्रति 24 घंटे की अवधि के लिए या उसके अंश का	870 (स्वीकृत भार संयोजित भार अथवा अभिलिखित भार जो भी ज्यादा हो 6 यूनिट प्रति कि.वा. अथवा उसका अंश की दर से न्यूनतम प्रभार बिल किये जावेंगे जो कि न्यूनतम 500/- रुपये होंगे)

* टीप: यदि मेला आयोजन की अनुमति राज्य शासन के अधिकृत अधिकारियों से प्राप्त हो।

3. टैरिफ अनुसूची- एल.व्ही - 3 सार्वजनिक जल प्रदाय योजना तथा सड़क बत्ती

क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रु प्रति कि.वा.)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
अ)	नगर निगम/ छावनी मंडल / नगर पालिका/ नगर पंचायत	306	563
ब)	ग्राम पंचायत	133	532
स)	अस्थायी	प्रयोज्य टैरिफ का 1.25 गुना	

4. टैरिफ अनुसूची- एल.व्ही-4 उद्योग

क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	शहरी क्षेत्र मासिक स्थाई प्रभार (रु प्रति माह)	ग्रामीण क्षेत्र मासिक स्थाई प्रभार (रु प्रति माह)	शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
अ- गैर मौसमी उपभोक्ता				
4.1 अ	मांग आधारित दर' (संविदा मांग 150 एच.पी./112 कि.वा. तक)	320 प्रति कि.वा. अथवा 256 प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग का	205 प्रति कि.वा. अथवा 164 प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग का	660
4.1 ब	अस्थायी संयोजन	प्रयोज्य दर का 1.25 गुना		
* 20 एच पी तक की संविदा मांग वाले के उपभोक्ताओं के लिए स्थाई प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार की बिलिंग उपरोक्त उपभोक्ता श्रेणी 4.1 अ में दशाये गए प्रभारों में 30% की दर से कम करने के पश्चात की जायेगी।				
ब- मौसमी उपभोक्ता (मौसम की अवधि लगातार 180 दिवस से अधिक नहीं होगी) यदि उद्घोषित मौसम/गैर मौसम दो विद्युत दर अवधियों की सीमा में आता है, उस स्थिति में उपभोक्ता को संबंधित टैरिफ अवधि की विद्युत दरें लागू होंगी।				
4.1 अ	मौसम के दौरान	गैर मौसमी उपभोक्ताओं के लिए लागू सामान्य टैरिफ के अनुरूप	गैर मौसमी उपभोक्ताओं के लिए लागू सामान्य टैरिफ के अनुरूप	सामान्य टैरिफ गैर मौसमी उपभोक्ताओं के लिए
4.1 ब	गैर-मौसम के दौरान	गैर मौसमी उपभोक्ताओं के सामान्य टैरिफ के अनुरूप 10%	गैर मौसमी उपभोक्ताओं के सामान्य टैरिफ के अनुरूप संविदा मांग का	गैर मौसमी उपभोक्ताओं के सामान्य टैरिफ का 120%

क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र
		मासिक स्थाई प्रभार (रु प्रति माह)	मासिक स्थाई प्रभार (रु प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
		अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग. इनमें जो भी ज्यादा है.	10% अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग. इनमें जो भी ज्यादा है.	

5. टैरिफ अनुसूची- एल.व्ही-5

कृषि एवं संबंधित कार्यों के लिए

एल.व्ही 5.1

क्रमांक	उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार प्रति एच.पी.	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
अ) (i)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	46	469
(ii)	301 से 750 यूनिट प्रतिमाह	57	572
(iii)	माह में शेष यूनिटों के लिए	62	600
ब)	अस्थाई संयोजन	62	600
स)	डी.टी.आर मीटरिकृत समूह उपभोक्ता	निरंक	459

एल.व्ही 5.2

क्रमांक	उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार प्रति एच.पी.	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
अ) (i)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	46	469
(ii)	301 से 750 यूनिट प्रतिमाह	57	572
(iii)	माह में शेष यूनिटों के लिए	62	600
ब)	अस्थाई संयोजन	62	600

एल.व्ही 5.3

क्रमांक	उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रुपये में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
अ)	शहरी क्षेत्र में 25 एच.पी तक	102 प्रति एच.पी	530
ब)	ग्रामीण क्षेत्र में 25 एच.पी तक	82 प्रति एच.पी	510
स)	मांग आधारित दर (संविदा मांग एवं संयोजित भार 150 एच.पी तक) शहरी क्षेत्र में (शहरी क्षेत्र में संविदा मांग 25 एच.पी से अधिक के लिए अपरिहार्य)	255 प्रति कि.वा. अथवा 204 प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग का	600
द)	मांग आधारित दर (संविदा मांग एवं संयोजित भार 150 एच.पी तक) ग्रामीण क्षेत्र में (ग्रामीण क्षेत्र में संविदा मांग 25 एच.पी से अधिक के लिए अपरिहार्य)	133 प्रति कि.वा. अथवा 106 प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग का	600

एल.व्ही 5.4

कृषि पंप (10 एच.पी. तक)

क्रमांक	कृषि उपयोग हेतु फ्लेट रेट टैरिफ (सब्सिडी उपरांत)	प्रभार (रुपये में) प्रति अश्वशक्ति (6 माह के लिए) अप्रैल से सितंबर	प्रभार (रुपये में) प्रति अश्वशक्ति (6 माह के लिए) अक्टूबर से मार्च
अ)	तीन फेस - शहरी	375	375

ब)	तीन फेस – ग्रामीण	375	375
स)	सिंगल फेस – शहरी	375	375
द)	सिंगल फेस – ग्रामीण	375	375

कृषि पंप (10 एच.पी. से अधिक)

क्रमांक	कृषि उपयोग हेतु फ्लेट रेट टैरिफ (सब्सिडी उपरांत)	प्रभार (रुपये में) प्रति अश्वशक्ति (6 माह के लिए) अप्रैल से सितंबर	प्रभार (रुपये में) प्रति अश्वशक्ति (6 माह के लिए) अक्टूबर से मार्च
अ)	तीन फेस – शहरी	750	750
ब)	तीन फेस – ग्रामीण	750	750
स)	सिंगल फेस – शहरी	750	750
द)	सिंगल फेस – ग्रामीण	750	750

6 टैरिफ अनुसूची- एल.व्ही 6 ई □□□□ / ई. □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□

उपश्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार, (रुपये प्रति कि.वा. अथवा के.व्ही.ए. बिलिंग मांग प्रतिमाह)	ऊर्जा प्रभार खपत पैसे प्रति यूनिट
	ई □□□□ / ई □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□	125 प्रति कि.वा. अथवा 100 प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग का

ब . उच्च दाब (हाई टेंशन-एचटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत-दर (टैरिफ) अनुसूचियां

1. टैरिफ अनुसूची- एच.व्ही-1 रेल्वे कर्षण (ट्रेक्शन)

उपभोक्ता श्रेणी	स्थाई प्रभार (रु. प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग डिमांड प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
रेल्वे कर्षण (ट्रेक्शन) 132 / 220 के.व्ही	310	590

नोट : ऊर्जा प्रभार मे रु. 2/- प्रति यूनिट की छूट लागू होगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक लागू रहेगी।

2. टैरिफ अनुसूची – एच.व्ही-2 कोयला खदानें

उपभोक्ता उप श्रेणी	स्थाई प्रभार, (रुपये प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग प्रतिमाह)	खपत के लिए ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	
		50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिए	50% लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिए
11 के.व्ही	675	725	640
33 के.व्ही		715	620
132 के.व्ही		695	600
220 के.व्ही.		672	576

3. टैरिफ अनुसूची- एच.व्ही-3 उद्योग, गैर उद्योग, शॉपिंग मॉल

उपभोक्ता उप श्रेणी	स्थाई प्रभार, (रुपये प्रति के.व्ही.ए. बिलिंग मांग)	खपत के लिए ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
--------------------	--	---

	प्रतिमाह)	50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिए	50% लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिए
3.1 उद्योग			
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	347	710	610
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	570	705	600
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय	660	662	565
220/400 के.व्ही विद्युत प्रदाय	660	620	520
3.2 गैर- उद्योग			
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	327	745	655
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	470	725	630
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय	560	680	570
3.3 शापिंग मॉल			
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	336	725	650
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	388	715	610
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय	520	665	590
3.4 पॉवर इन्टेंसिव उद्योग			
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	565	540	540
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय	668	517	517
220 के.व्ही विद्युत प्रदाय	668	510	510

4. टैरिफ अनुसूची- एच.व्ही-4 – मौसमी

उपभोक्ता उप श्रेणी	स्थाई प्रभार,	खपत के लिए ऊर्जा प्रभार	
	(रूपये प्रति	(पैसे प्रति यूनिट)	
	के.व्ही.ए. बिलिंग मांग प्रतिमाह)	50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिए	50% लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिए
मौसम के दौरान			
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	367	695	590
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	408	675	570
गैर मौसम के दौरान			
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा मौसम के दौरान वास्तविक अभिलिखित मांग पर जो अधिक हो, रु. 367	834 अर्थात मौसमी ऊर्जा प्रभार का 120%	लागू नहीं
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय	संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा मौसम के दौरान वास्तविक अभिलिखित मांग पर जो अधिक हो, रु. 408	810 अर्थात मौसमी ऊर्जा प्रभार का 120 %	लागू नहीं

5. टैरिफ अनुसूची- एच.व्ही-5 सिंचाई, सार्वजनिक जल कार्य एवं कृषि उपयोग के अलावा -

उपश्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार,	ऊर्जा प्रभार खपत
	(रूपये प्रति	(पैसे प्रति प्रति यूनिट)
	के.व्ही.ए. बिलिंग मांग प्रतिमाह)	
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	327	602
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय		590
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय		550

6. टैरिफ अनुसूची- एच.व्ही-6 थोक आवासीय उपयोगकर्ता

उपभोक्ता की श्रेणी	स्थाई प्रभार,	खपत के लिए ऊर्जा प्रभार	
	(रूपये प्रति	(पैसे प्रति यूनिट)	
	के.व्ही.ए. बिलिंग मांग प्रतिमाह)	50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिए	50% लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिए
6.1 टैरिफ उपश्रेणी के लिए -			
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	326	625	560
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय		610	540
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय		590	520
6.2 टैरिफ उपश्रेणी के लिए -			
11 के.व्ही विद्युत प्रदाय	204	625	560
33 के.व्ही विद्युत प्रदाय		610	540
132 के.व्ही विद्युत प्रदाय		550	510

7. टैरिफ अनुसूची-एच.व्ही-7 ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों के लिए सिंक्रोनाइजेशन (Synchronization)

श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों के लिए सिंक्रोनाइजेशन हेतु	960

8. टैरिफ अनुसूची-एच.व्ही-8 ई □□□□/ ई. □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

उपश्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार,	ऊर्जा प्रभार खपत
	(रूपये प्रति	(पैसे प्रति प्रति यूनिट)
	के.व्ही.ए. बिलिंग मांग प्रतिमाह)	
उच्च दाब	120 प्रति के.व्ही.ए बिलिंग मांग	590

टीप :-

1. आयोग द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2020 को जारी खुदरा विद्युत प्रदाय दर आदेश की प्रति आयोग की वेबसाईट **www.mperc.in** पर उपलब्ध है, जिसमें निम्न दाब/उच्च दाब एवं अति उच्च दाब सहित समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू टैरिफ अनुसूची (टैरिफ शेड्यूल) तथा निबंधन एवं शर्तें शामिल है।
2. यह जन सूचना हिन्दी में अनुवादित है। इस जनसूचना या इसके किसी भाग की व्याख्या/प्रयोज्यता एवं अनुवाद इत्यादि से उत्पन्न विवाद की स्थिति में, खुदरा विद्युत प्रदाय दर आदेश 2020-21 में दिये गये विवरण ही मान्य होंगे।

सचिव
म.प्र. विद्युत नियामक आयोग